न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/02/2018	04–01–2018	24–01–2019

01– हरिनारायण पुत्र साधूराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मांदला कला तहसील रामगढ, जिला अलवर राज०

अपीलाण्ट

बनाम

01– नायब तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार रामगढ दिनांक 23.10.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 404/2017

उपस्थितः–

01–श्री कैलाश चन्द शर्मा --वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 23.10.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम मांदला कला की सरकारी बंजड़ प्रथम भूमि के आराजी खसरा नम्बर 680/0.32 है0 के 0.20 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम मांदला कला की सरकारी बंजड़ प्रथम भूमि के आराजी खसरा नम्बर 680/0.32 है0 के 0.20 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 04.09.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिकमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिकमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। बयान पूर्व में मुद्रित फोटोकॉपी प्रति में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखे गये है जिससे जाहिर होता है कि कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं हुआ है। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 23.10.2017 के विरुद्ध दिनांक 18.12.2017 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 18.12.2017 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोडना बताया गया है तथा भविष्य मे अतिकमण नहीं करने का निवेदन किया है। रिपोर्ट नायब तहसीलदार रामगढ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 31.05.2018 में विवादित आराजी पर बर्तमान में अपीलार्थी का अतिकमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलांट नायब तहसीलदार रामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अगर विवादित आराजी पर अपीलांट का अतिकमण पाया जाता है तो उसके विरुद्ध एल आर एक्ट के तहत 91(6) के तहत कार्यवाही की जावे। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि वो दिनांक 15.02.2019 को नायब तहसीलदार रामगढ़ के न्यायालय में उपस्थित होवें। नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने पर अपीलांट की तामील मानी जावेगी।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24–01–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)